उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F56680 सी-१/एन/एन.ओ.सी./६५०/०९/05 दिनांक 10-11-09

सेवा में,

मे0 यूनिटेक लि०,
ए ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट,
जी०एच०-००१, सेक्टर-११७,
नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से /नई इकाई की स्थापना हेतु/कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार /संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाँक १६.९.०९ का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क) स्थल : जी.एच.-००१, सेक्टर-११७, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

(ख) उत्पादन : ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट

Received on 14/11/2009

(ग) मुख्य कच्चे माल :..

बिल्डिंग मीटिरियल बालू, सीमेन्ट, सरिया, मौरंग आदि

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा :..

शून्य

(ड.) प्रयुक्त ईंधन :..

डीज़ल डी.जी.सेट हेतु

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अर्न्तगत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।

CONDITIONS FOR THE BANK GUARANTEE FOR M/S UNITECH LTD. A GROUP HOUSING PROJECT, GH - 001, SEC - 117, NOIDA

1. Complete S.T.P. as proposed along with disinfection units shall be installed before generation of sewage from project. The S.T.P. shall be surrounded by boundary wall, trees plants etc., to eliminate the odour impact.
2. As proposed, treated sewage shall be used for irrigation in parks etc. as far as possible. (except in back and front lawns (set backs) of individual houses) with sign board etc. for public information early indicating that is not drinking water and is meant for irrigation only. Permission shall be obtained from Noida authority for discharge of treated effluent into sewer.
3. The company shall lay a pipeline to carry the treated sewage to the nearest drain / sewer line /nala, permission etc. if required, shall be taken from concerned authorities.
4. One stand by motor/pumps shall be installed with each major units of S.T.P. and final pumping point so as to minimize non operation of E.T.P. due to break down.
5. Arrangement for segregation of solid waste, recycling and its processing by vermi composting shall be done as per M.S.W. rules 2000 in the premises itself. Rest shall be disposed off in consultation with Noida development authority.
6. Arrangement of rain harvesting shall be made as proposed.
7. An electricity generating set shall be installed for operation of S.T.P. during availability of electricity so as to ensure continuous operation S.T.P. All the D.G. sets shall be fitted with acoustic enclosures and required stacks.
8. The S.T.P. shall be fitted with separate energy meter.
9. The trees shall be planted all along internal roods, on inside boundaries of Park etc. the area of park shall be strictly provided as proposed.
10. The location of S.T.P. and composting yard (Covered yard) shall be such that it does not pose any problem of odour to the dwellers of the colony, it should be preferably in one corner.
11. All the above works shall be completed before the occupancy or generation of sewage and solid waste etc.
12. Revised site map clearly showing location and dimensions of STP shall be submitted with in a month.
13. Provision shall be made for the housing of construction labours within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा .... से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक .... तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

७. मै. यूनिटेक लि०, ए ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, जी.एच.-००१, सेक्टर-११७ नोएडा, २१०० केएलडी क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया जाएगा एवं शुद्धिकृत उत्प्रवाह को शत-प्रतिशत डीजीसेट कूलिंग, फ्लशिंग, हार्टीकल्चर हेतु पुनः प्रयोग किया जाएगा। शुद्धिकृत उत्प्रवाह को सीवेज में डालने हेतु नोएडा अथारिटी से अनुमति लें।

८. उद्योग/संस्था प्रस्तावानुसार एसटीपी का निर्माण डिशइनफेक्शन यूनिट के साथ सीवेज जनित होने के पूर्व करें। शुद्धिकृत उत्प्रवाह को प्रस्तावानुसार ग्रीनवेल्ट एवं गार्डनिंग हेतु प्रयोग करें।

९. उद्योग/संस्था शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी.जी.सेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।

१०. सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रस्तावानुसार किया जाये तथा बायोडिग्रेडेबुल वेस्ट के लिए वर्मीकल्चर किया जायें।

११. समस्त प्रस्तावित डी.जी.सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ-साथ बोर्ड मानकों के अनुसार पर्याप्त ऊँचाई की चिमनी भी स्थापित की जायें।

१२. उद्योग/संस्था प्रस्तावानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।

१३. उद्योग/संस्था नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित करें।

१४. केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से भूगर्भ जल दोहन हेतु आवश्यक एन.ओ.सी. प्राप्त किया जाये।

१५. उद्योग/संस्था को यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम, १९७४ एवं वायु अधिनियिम, १९८१ के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

१६. उद्योग/संस्था बैंक गारण्टी पत्रांक-एफ५५९७१/सी-१/एन/एन.ओ.सी./६५०/०९, २२.१०.०९ के साथ संलग्न शर्ते ।संलग्न-१। का अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में बैंक गारण्ट बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त करा ली जाएगी एवं अधिनियमों के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एंव सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक .... तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं. /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र :..
गौतमबुद्धनगर
....

2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :..
नोएडा
....

4. ....
....

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(सर्किल–)